आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री चंद्रमोहन गर्ग, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 33/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्री अंकित गुप्ता, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 5 (3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एटीईपीजी 1376 एन		

अपीलार्थी की ओर से	श्री विजय बंसल तथा सुश्री निशा लाहोटी, सीए
राजस्व की ओर से	श्री पी.के.सिंगी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	29.07.2021
उद्घघोषणा तिथि	29.07.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन आदेश दिनांक 29.11.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. निर्धारिती द्वारा लिए गए अपील के आधारों में एकमात्र आपत्ति विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन रु. 23,19,374/- की दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति का दावा अस्वीकृत करके धारा 68 के अधीन किए गए रु. 23,19,374/- के परिवर्धन की पुष्टि किए जाने के विरूद्ध है ।

3. अपील की सुनवाई के आरंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त मुद्दा इंदौर न्यायपीठ द्वारा समान तथ्यों पर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए श्री मनोज यादव, इंदौर के प्रकरण में आ.अ.सं. 149/इंदौर/2019 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2021 के द्वारा निर्धारिती के पक्ष आवृत्त है । अतः उक्त परिवर्धन हटाये जाने योग्य है । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों एवं रेडीसन प्रापर्टीज प्रा.लि. तथा अन्य के प्रकरण में सेबी के आदेश दिनांक 14.05.2019 पर निर्भरता रखी परंतु वह यह साबित करने में असफल रहे कि वर्तमान प्रकरण के तथ्य आ.अ.सं. 149/इंदौर/2019 में श्री मनोज यादव, इंदौर के प्रकरण के तथ्यों से अलग है ।

4. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अध्ययन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में अंतर्ग्रस्त मुद्दा टर्बोटेक इंजिनिअरिंग लिमिटेड के 5000 शेयरों के विक्रय के संबंध में है । टर्बोटेक इंजिनिअरिंग लिमिटेड के शेयरों के मुद्दे पर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए श्री मनोज यादव, इंदौर के प्रकरण में आ.अ.सं. 149/इंदौर/2019 में समकक्ष न्यायपीठ इंदौर द्वारा स्वाती लुथरा- [2020] 115 टैक्समेन डॉट कॉम 167- आदेश दिनांक 28.06.2019 (आ.अ.अ., दिल्ली) तथा कृष्णा

देवी प्रकरण में आ.अ.सं. 125/2020 में आदेश दिनांक 15.01.2021 (दिल्ली उच्च न्यायालय) में निर्णयों पर निर्भरता रखते हुए पारित सविस्तृत आदेश दिनांक 25.05.2021 के द्वारा यह अभिधारित किया गया था कि टर्बोटेक इंजिनिअरिंग लिमिटेड न तो पैनी स्टॉक न ही कागजी कंपनी है तथा उक्त कंपनी के शेयरों लेखे किए गए परिवर्धन को हटाया गया था । चूंकि वर्तमान निर्धारिती की अपील में भी समान मुद्दा अंतर्ग्रस्त है, अतः हमारे विचारपूर्ण अभिमत में विवादाधीन मुद्दा हमारे उपरोक्त आदेश दिनांक 25.05.2021 द्वारा पूर्णतः आवृत्त है तथा निर्धारिती का अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन टर्बोटेक इंजिनिअरिंग लिमिटेड के इक्विटी शेअरों के विक्रय से रु. 23,19,374/- की दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति का दावा प्रामाणिक है । तद्नुसार हम निर्धारण अधिकारी को रु. 23,19,374/- का परिवर्धन हटाने का निदेश देते है तथा अपील के इस आधार को स्वीकृत करते है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 29.07.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(चंद्रमोहन गर्ग)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 29.07.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल